कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / व0प्रा0 / न.क्र.–19 / 2017 / 1207 अम्बिकापुर, दिनांक 27 / 3 / 2017

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act-1980 under widening and upgrading of NH-78 to 2-Lane with Paved Shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area -31.104 –regarding.**

संदर्भ :– **अ0प्र0मु0व0स0 (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध एल.एम. –115–589 / 809 दिनांक 20.03.2017**

....

विषयाकिंत वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में वरिष्ठ का संदर्भित पत्र, जो आपको संबोधित है, का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से उक्त व्यपवर्तन प्रकरण में वरिष्ठ की ओर पूर्व प्रेषित व्यपवर्तन प्रस्ताव में परीक्षण उपरान्त 09 बिन्दुओं पर आपत्ति उठाते हुए आपत्तियों का निराकरण कर पुनः व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ का संदर्भित पत्र मय व्यपवर्तन प्रस्ताव 05 प्रतियों में संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र में उठाई गई 09 बिन्दुओं पर आपत्तियों का निराकरण कर व्यपवर्तन प्रस्ताव पुनः अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र मय व्यपवर्तन प्रस्ताव 05 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / व0प्रा0 / न.क्र.–19 / 2017 / 1208 अम्बिकापुर, दिनांक 27 / 3 / 2017

प्रतिलिपि :– (1) अ0प्र0मु0व0स0 (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल एवं जशपुर वनमण्डल की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) Chief Engineer, Public Works Department National Highway Zone, Pentionwad Chattisgarh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.) प्राप्ति क्रमांक दिनांक 27/03/2017

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

D:\Ashish Work 2016\All memo\133.docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115–589/809 रायपुर, दिनांक 25/03/2017

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
सरगुजा वन मंडल, सरगुजा
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 under widening and upgrading of NH-78 to 2-Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon area - 31.104 – regarding.**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त सरगुजा का पत्र कमांक/मा.चि./न.क.–19/2017/415 दिनांक 04.03.2017

–00–

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत **NH-78 to 2-Lane with Paved shoulder from Ambikapur to Pathalgaon** कुल क्षेत्र 31.104 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन में आनलाईन परीक्षण में निम्नानुसार कमियां पायी गई है:–

1. आनलाईन प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट "I" के कॉलम न. बी–2 में वनमंडलवार क्षेत्रफल के विवरण में सूरजपुर – 7.185 हे., सरगुजा – 23.077 हे. एवं जशपुर 0.842 हे. **कुल क्षेत्रफल = 31.104 हे.** हेतु व.सं.अ. 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन के लिए आवेदन आनलाईन दिया गया था परन्तु वनमंडलाधिकारी द्वारा आनलाईन प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट "II" के कॉलम न. –2 में वनमंडलवार क्षेत्रफल के विवरण में सूरजपुर – 6.645 हे., सरगुजा – 23.077 हे. कुल क्षेत्रफल = 29.722 । **फार्म – ए के पार्ट "I" से फार्म – ए के पार्ट "II" में** कुल 1.382 हे. का अंतर है तथा जशपुर वनमंडल में वन भूमि की जानकारी निरंक है। चूंकि संदर्भित पत्र में आवेदक द्वारा आवेदित फार्म ए में जो जानकारी व्यपवर्तन हेतु दी गई वही दी गई तो फिर आनलाईन में अंतर क्यों दर्शित है। कारण स्पष्ट करें।
2. **फार्म – ए के पार्ट "I" एवं फार्म – ए के पार्ट "II"** की मूल हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
3. वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी जिस वनमंडल में दी गई है सिर्फ उन्ही वन मंडल में .KML एव मानचित्र अपलोड किए जाए।
4. डी.जी.पी.एस सर्वे रिर्पोट, के.एम.एल फाईल तथा शेप फाईल प्रस्तावित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र मय सी.डी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें एवं सत्यापन उपरांत आनलाइन अपलोड भी करें।
5. प्रस्ताव की एक मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें।
6. एन.पी.व्ही का गणना पत्रक संलग्न करे।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न करें। यह कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के पूर्व का होना चाहिए। आनलाईन कलेक्टर कार्यालय से भी अपलोड करावें।
8. वनमंडलाधिकारी का नाम एवं सील विधिवत् दर्शित हो।
9. प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी एवं वृक्षों के वैज्ञानिक नामों की सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।

त्रुटियों को सुधार कर नवीन टाईम लाईन मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत करें। अपूर्ण प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। प्रकरण EDS किया जा रहा हैं वृत्त कार्यालय में ।

विशेषः– निर्देशानुसार लेख है कि कार्य में सुधार करें।

संलग्नः– 4 प्रति प्रस्ताव की आवेदक के हस्ते मूलतः वापिस किया गया है।

25-3-17

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115–589/810 रायपुर, दिनांक 25/03/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़। वृत्त कार्यालय में क्या परीक्षण हुआ ?
– वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, छत्तीसगढ।
– वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल, छत्तीसगढ।
– **Chief Engineer**, Public Works Department, National Highway Zone, Pentionwad Chhattisgarh

वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

क्रमशः 2

(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़